

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-96/2012 (खंड III)-

/कृ०, पटना, दिनांक ..... जून 2015

प्रेषक,

**धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०**  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

**श्री रजत पांडा,**  
मेसर्स टाटा केमिकल्स लि०,  
373-A जस्टिस नारायण पथ,  
नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना।

**विषय :-** कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-4 दिनांक 09.06.2009 एवं अनुज्ञप्ति संख्या-42 दिनांक 20.04.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में Endorsment के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चलान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अनिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित कीटनाशियों का अनुज्ञप्ति संख्या-4 दिनांक 09.06.2009 एवं अनुज्ञप्ति संख्या 42 दिनांक 20.04.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2015 के अन्तर्गत Endorsment किया जाता है।

कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम
मेसर्स यूनाईटेड फॉस्फोरस लि०	1 Cypermethrin 10% EC
	2 Acephate 50%+Imidacloprid 1.8% SP
	3 Chlorfluazuron 5.4%EC
	4 Flonicamid 50% WG
	5 Bifenthrin 10% EC
	6 Cartap Hydrochloride 4% GR
	7 Pyrazosulfuron Ethyl 10% WP
	8 Imidacloprid 17.8% SL
	9 Pretilachlor 6%+ Pyrazosulfuron Ethyl 0.15% GR
	10 Hexaconazole 5% EC
	11 Cypermethrin 25% EC
	12 Triazophos 40% EC
	13 Sulfosulfuron 75% WG+ Metsulfuron Methyl 5% WG
	14 Tricylazol 75% WP
	15 Glyphosate 41% SL
	16 Clodinafop Propargyl 15% + Metsulfuron Methyl 1% WP
	17 Piroxofop-propanyl (Clodinafop Propargyl) 15% WP
	18 Dichlorvos 76% EC
	19 Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP
	20 Thiamethoxam 25% WG
	21 Metalaxyl 8%+Mancozeb 64% WP
	22 Pendimethalin 30% EC
	23 Cypermethrin 3%+Quinalphos 20% EC
	24 Paraquat Dichloride 24% SL

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :- मेसर्स टाटा केमिकल्स लि०, NH 30, अगमकुआँ पहाड़ी, पटना एवं मेसर्स टाटा केमिकल्स लि० द्वारा मेसर्स उर्जा इन्टरप्राइजेज, द्वारा-नारायण सर्राफ, NH 31 गुलाबबाग, पूर्णियाँ।

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3261

/क०, पटना, दिनांक 10 जून, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।